

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जनवरी 2021 — माघ 5, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 जनवरी 2021

### अधिसूचना

क्रमांक 1275/21-अ/स्थापना/छ.ग./2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- जहां कहीं भी शब्द “स्टेनोग्राफर ग्रेड 1/शीघ्रलेखक वर्ग-एक/शीघ्रलेखक श्रेणी एक/शीघ्रलेखक श्रेणी-एक/श्रेणी-एक शीघ्रलेखक” आया हो के स्थान पर, शब्द “निज सचिव” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- जहां कहीं भी शब्द “शीघ्रलेखक वर्ग-2/शीघ्रलेखक श्रेणी दो/शीघ्रलेखक श्रेणी-दो/श्रेणी-दो शीघ्रलेखक” आया हो के स्थान पर, शब्द “निज सहायक” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- जहां कहीं भी शब्द “शीघ्रलेखक श्रेणी तीन/शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन/श्रेणी-तीन शीघ्रलेखक” आया हो के स्थान पर, शब्द “शीघ्रलेखक” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“18. परिवीक्षा.— किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा ।”

- अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

| (1)  | (2)              | (3) | (4)          | (5)           |
|------|------------------|-----|--------------|---------------|
| “16. | सहायक प्रोग्रामर | 03  | ....तदैव.... | ....तदैव....” |

- अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 12 के कॉलम (4) एवं (5) में, अंक एवं शब्द “90 प्रतिशत” तथा “10 प्रतिशत” के स्थान पर, क्रमशः अंक एवं शब्द “75 प्रतिशत” तथा “25 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

| (1)  | (2)              | (3) | (4)         | (5) | (6) |
|------|------------------|-----|-------------|-----|-----|
| "16. | सहायक प्रोग्रामर | 03  | 100 प्रतिशत | —   |     |

8. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

| (1) | (2)             | (3)     | (4)                                                            | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "6. | सहायक ग्रेड-तीन | 18 वर्ष | 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये 35 वर्ष) | <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।<br/>अथवा<br/>पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ।</p> <p>(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)।"</p> |

9. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

| (1) | (2)              | (3)     | (4)                                                            | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "9. | सहायक प्रोग्रामर | 18 वर्ष | 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये 35 वर्ष) | <p>प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) या स्नातक में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी<br/>अथवा<br/>एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी./एम.ए. या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी<br/>अथवा<br/>बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री/ बी.एस.सी./बी.ए.कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी"</p> |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 25 जनवरी 2021

क्र. 1275/21-अ/स्थापना/छ.ग./2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-01-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

Atal Nagar, the 25th January 2021

## NOTIFICATION

No. 1275/XXI-A/Estt./C.G./2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1983, namely:-

## AMENDMENT

In the said rules,-

1. For the words, figure and symbol "Stenographers grade I/Stenographer Grade I/Grade I Stenographer", wherever they occur, the words "Private Secretary" shall be substituted.
2. For the words, figure and symbol "Stenographers Grade II/Stenographer Grade II/Grade II Stenographer", wherever they occur, the words "Personal Assistant" shall be substituted.
3. For the words, figure and symbol "Stenographers Grade III/Grade III Stenographer", wherever they occur, the words "Stenographer" shall be substituted.
4. For rule 18, the following shall be substituted, namely:-  
 "18. Probation.- A person appointed to a service or post by direct recruitment shall be placed on probation for first three years."
5. In Schedule-I, after serial number 15 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

| (1)  | (2)                  | (3) | (4)    | (5)     |
|------|----------------------|-----|--------|---------|
| "16. | Assistant Programmer | 03  | --do-- | --do--" |

6. In column (4) and (5) of serial number 12 of Schedule-II, for the figure and words "90 percent" and "10 percent", the figure and words "75 percent" and "25 percent" shall be substituted, respectively.
7. In Schedule-II, after serial number 15 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

| (1)  | (2)                  | (3) | (4)         | (5) | (6) |
|------|----------------------|-----|-------------|-----|-----|
| "16. | Assistant Programmer | 03  | 100 percent | -"  |     |

8. In Schedule-III, for serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| (1) | (2)                 | (3)      | (4)                                                            | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "6. | Assistant Grade-III | 18 years | 30 years ( 35 years for Local residents of Chhattisgarh State) | <p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,<br/>OR<br/>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute.</p> <p>(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."</p> |

9. In Schedule-III, after serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

| (1) | (2)                  | (3)      | (4)                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "9. | Assistant programmer | 18 years | 30 years (35 years for local residents of State of Chhattisgarh) | <p>B.E/B.Tech./B.Sc (Engineering) in 1st division or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade..</p> <p>OR</p> <p>Post Graduate in M.C.A/M.C.M./Information Technology, M.Sc./M.A. in first division in Physics/Mathematics/Statistics/Operation Research/Economics/Computer Science or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade.</p> <p>OR</p> <p>Graduate in B.C.A/B.C.M./Information Technology, Post Graduate Degree in 1st division in Physics/Mathematics/Statistics/Operation Research/Economics/B.Sc./B.A. Computer Science/Post Graduate Diploma in Computer Application in Computer Science or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade."</p> |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
UMESH KUMAR KATIYA, Additional Secretary.